न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 00021/2014

उनवान

1. कलजी पिता सोमा सोलंकी जाति आदिवासी निवासी खोडन तह. गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. कुरीया पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ।
2. पुनिया पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ।
3. रमण पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा
4. गटु पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ।
5. हुरजी पिता सोमा सोलंकी जाति आदिवासी निवासी खोडन तह. गढ़ी जिला बांसवाडा ।
6. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रतिवादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 125 व 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर 1343, 1344, 1345, 1346, 2650, 2666, 2667, 2678 व 3834 वाके गांव खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। जिसके हाल सर्वे नम्बर 2166 2167, 4623, 4624, 4601, 4769 है। उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि वादी के दादा मावजी के नाम होकर प्रार्थी का वर्षो से कब्जा था जिस पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उक्त भूमि कभी भी आबादी नहीं करवाई गई है। मात्र सेटलमेंट के दौरान आबादी क्षेत्र में आने से आबादी दर्ज रिकार्ड हो जाने से प्रतिवादीगण ने फर्जी विक्रय पंजीयन बनाकर वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। जबकि वादी ने कभी भी कोई विक्रय पंजीयन दर्ज नहीं करवाया है। प्रतिवादीगण ने अवैद्य तरीके से, फर्जी तरीके से वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर उसे हडपने की नियत से निर्माण किया है। जिसे तत्काल रोके जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 188 R. T. Act के तह[illegible]ये निर्माण को जरिये आज्ञापक आदेश हटाये जाने व निर्माण को ध्वस्त [illegible] धारा 183 R.T. Act के तहत् तथा वादी की उक्त भूमि जो सेटलमेंट के दौरान सेवन से आबादी दर्ज रिकार्ड हो गई है। उसे दुरस्त कर वादी को खातेदार घोषित किये जाने बाबत वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act व 136 L. R. Act के तहत् वाद पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनं तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत केम्प खोडन में उपस्थित हुए। प्रतिवादीण को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया । पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी के गवाह कलजी की साक्ष्य का शपथ–पत्र PW – 1 पेश हुआ । वादी के गवाह कलजी द्वारा अपने शपथ–पत्र में कथन किया गया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नम्बर 1343, 1344, 1345, 1346, 2650, 2666, 2667, 2678 व 3834 वाके गांव खोडन में स्थित है जिसके हाल सर्वे नम्बर 2166 2167, 4623, 4624, 4601, 4769 है। उक्त भूमि वर्षो से प्रार्थी के दादा मावजी के नाम होकर उसी का कब्जा था जिस पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर लिया है। वादी ने कभी भी आबादी नहीं करवाई है। मात्र सेटलमेंट दर्ज होने से प्रतिवादी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री बनाकर कब्जा कर लिया है। जबकि वादी ने कभी भी बेचाननामा नहीं किया है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि से बेदखल करना आवश्यक होना बताया। पत्रावली वादी के गवाह कलजी की जिरह द्वारा प्रतिवादी अभिभाषक हेतु नियत की जाने पर वादी' के गवाह कलजी जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा अपने दावे को ही अपनी बहस होना बताया। प्रतिवादीगण बहस हेतु अनुपस्थित रहें ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं वाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है। वादी द्वारा अपने में ग्राम खोडन के सर्वे 1343, 1344, 1345, 1346, 2650, 2666, 2667, 2678 व 3834 जिनके हाल सर्वे नम्बर 2166 2167, 4623, 4624, 4601, 4769 होना बताकर उक्त सर्वे नम्बर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के होना बताया गया है। जबकि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात आता है कि हाल सर्वे नम्बर 4623 व 4624 सरकारी नम्बर होकर सर्वे नम्बर 4624 खड्डा तथा सर्वे नम्बर 4623 आबादी दर्ज रिकार्ड है। सर्वे नम्बर 2166, 2167 संयुक्त खातेदारी होकर कलजी, हुरजी पिता सोमा के नाम पूर्व से दर्ज रिकार्ड है।, सर्वे नम्बर 4769 से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया हैं। तथा सर्वे नम्बर 2666 के पंजीयन सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये है परन्तु दावे में इस सर्वे नम्बर का उल्लेख नहीं किया है। वादी द्वारा गलत तथ्यो व अपूर्ण दस्तावेजो के आधार पर दावा पेश किया है लिहाजा [illegible] निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.5.2025 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:28 IST
Reason: SelfAttested

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 00021/2014

उनवान

1. कलजी पिता सोमा सोलंकी जाति आदिवासी निवासी खोडन तह. गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1. कुरीया पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ।
2. पुनिया पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ।
3. रमण पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा
4. गटु पिता शंकर पंचाल जाति पंचाल निवासी खोडन तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ।
5. हुरजी पिता सोमा सोलंकी जाति आदिवासी निवासी खोडन तह. गढ़ी जिला बांसवाडा ।
6. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रतिवादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 125 व 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 6.5.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 06.5.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner